आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–52 / 2023	
17.11.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष श्री रतनलाल स्वांसी एवं अन्य, पंचायत–गुड़जोरा, प्रखण्ड+जिला–खूँटी Video conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित।	
	आयोग के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने ग्राम सभा का आयोजन कर उसकी वीडियोग्राफी कराई, जिसमें लाभुकों द्वारा यह बताया गया कि PDS दुकानदार द्वारा उन्हें सही मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सी0डी0 की प्रति आयोग के अभिलेख में उपलब्ध है। जबकि आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना पक्ष रख रहे शिकायतकर्ता श्री रतन लाल स्वांसी एवं श्री रिजु महतो ने कहा कि जिन शिकायतकर्ताओं को कम अनाज मिल रहा है, उनकी संख्या उस गांव में कम है और उनकी बातें नहीं सुनी जाती है और संख्या बल के आधार पर उनका शोषण लंबे समय से चल रहा है।	
	आयोग शिकायतकर्ता को यह निर्देश देता है कि वे उन तमाम लोगों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएँ, जिन्हें कम राशन दिया जा रहा है या कम संख्या में होने के कारण उन्हें शोषित किया जा रहा है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता श्री रतन लाल स्वांसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची में दर्ज सभी लाभुकों को कितना अनाज कब उपलब्ध कराया गया, पिछले दो साल का विवरण सभी 52 लोगों का उपलब्ध कराएँ। जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस संदर्भ में अपना जाँच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराएँ और यदि जाँच के क्रम में शिकायतकर्ता की बातें प्रमाणित होती है, तो उन सभी शिकायतकर्ताओं को जिनका सूची में नाम दर्ज है, उन्हें सवा गुणा मुआवजा के साथ अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उस पूरे अवधि में जिस अवधि में उन्हें कम अनाज दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–29.11.2023 को निर्धारित की जाती है।	
	आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–29.11.2023 को रखें।	
	(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
	(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
	E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx125	